सं. ओ. वि./जी. जी.एन./90-84/32750.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. लक्ष्मी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, महरौली रोड, गुड़गावा, के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./82-84/32757.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं. 6, सैक्टर-4, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री कुवंर पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री कुवंर पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./एफ० डी०/100-84/32764.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. बैरीसन्ज (इण्डिया) प्रा. लि., प्लाट नं० 1/25-1/33, डी.एल. एफ. मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री प्रेम बहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि./एफ. डी./149-84/32771.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. सर्बाना प्रिंटिंग प्रैस प्लाट नं. 387, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

9 अगस्त, 1984

सं० ओ.वि./एफ.डी./13-84/29516.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. कल्च आटो लि०, प्लाट नं० 111-112, सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दशरथ प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री दशरथ प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

एस० के० महेश्वरी,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT

The 17th August, 1984

No. 60/1/84/6-Defence.—In partial modification of Haryana Government Notification No. 854-2-ASP-(HM)-68/17057, dated the 18th July, 1968, as amended from time to time, the Governor of Haryana is pleased to constitute a Committee for the Administration of Haryana Defence and Security Relief Fund as under :—

1.	Shri Bhajan Lal, Chief Minister, Haryana. ..	Chairman
2.	Col. Ram Singh, Transport Minister, Haryana. ..	Member
3.	Brig. Ran Singh (Retd), Ex-M. L. A., Village and Post Office Dujana, Tehsil Jhajjar, District Rohtak. ..	Do
4.	Col. Birender Singh Panwar (Retd), Ram Nagar Colony, Bhiwani. ..	Do
5.	Major Thandi Ram (Retd), 34, Bishnoi Colony, Hissar. ..	Do
6.	Chief Secretary. ..	Do
7.	General Officer Commanding, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh Area, Ambala Cantt. ..	Do
8.	Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Home Department. ..	Do

9.	Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Finance Department. ..	Member
10.	Air Officer Commanding, Air Force Station, Ambala Cantt. ..	Member
11.	Secretary, Haryana Rajya Sainik Board. ..	Member-Secretary

2. The Fund will be utilised as provided in the Haryana Defence and Security Relief Fund Rules, amended from time to time.

3. The Committee will formulate its own rules for the transaction of business.

4. The Chairman may convene meetings of the Committee at such place or places as he may deem necessary and convenient for the transaction of business.

5. The non-official members of the Committee will be entitled to travelling and daily allowance at the rates admissible to Government employees of Grade I, except that they will receive only single first class railway fare, from the place of their residence to the place of meeting and back. The non-official members will also be entitled to use their own car at the time of attending the meeting of Haryana Defence and Security Relief Fund Committee and will be paid travelling allowance under Haryana Government T. A. rules as amended from time to time. The Secretary of the Fund Committee will countersign bills relating to these allowances.

6. A vacancy amongst the members of the Committee from any cause whatsoever will be filled by nomination by the Chief Minister.

7. All contributions and donations will be credited to the Fund, which will be maintained in a scheduled bank. The Fund will be operated by the Secretary of the Committee.

8. The Deputy Commissioners in Haryana State will be authorise to raise contributions for the Fund.

9. The term of a member of the Committee shall be five years.

P.P. CAPRIHAN,

Chief Secretary to Government, Haryana.

14205CS (H)—Govt. Press, U.T. Chd.